प्रेस विज्ञप्ति

जिला उपभोक्ता फोरम, गौतमबुद्धनगर द्वारा ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के विरूद्ध पारित आदेश के संबंध में।

दिनॉक 07/01/2023 को मा0 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, गौतमबुद्धनगर द्वारा श्री महेश मित्रा बनाम ग्रेटर नौएडा में प्राधिकरण के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, जिसके अनुसार मा0 न्यायालय द्वारा आदेश किया गया है कि विपक्षी राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के आदेश दिनॉक 30/05/2014 का अनुपालन आदेश दि0 07/01/2023 की तिथि से 15 दिवस के अन्दर करें। साथ ही यदि अनुपालन नहीं किया तो गिरफ्तारी वारंट जारी होगा व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा को एक माह के कारावास से दण्डित किया जायेगा।

उक्त संबंध में अवगत कराना है कि यह प्रकरण वर्ष 2006 से जिला उपभोक्ता फोरम में चल रहा था। उक्त में श्री महेश मित्रा द्वारा ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण में वर्ष 2000 में औद्योगिक भूखण्ड आबंटन के लिए आवेदन किया गया था जिसका आबंटन उन्हें उस समय नियमानुसार नहीं हो सका था। उसके बाद यह वाद उनके द्वारा क्रमशः जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता फोरम व अंत में राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम दाखिल किया गया। वर्ष 2014 में राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम ने इन्हें 500 से 2500 वर्ग मीटर का भूखण्ड नियमानुसार पुरानी शर्तों व नियमों के अधीन आबंटन करने के आदेश किये।

इस क्रम में **दिनॉक 10/09/2014 को ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा प्रोविजनल आबंटन पत्र रू0 9810/– प्रति वर्ग मीटर की दर से 1000 से 2500 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के भूखण्ड का ऑफर देते हुए जारी किया गया।** वर्ष 2014 से ही श्री मित्रा द्वारा उक्त दर व ऑफर को स्वीकार न करते हुए प्राधिकरण में अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं दी गयी व पुनः Execution के लिए जिला उपभोक्ता फोरम गये। **वर्ष 2018 में तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिनॉक 03/04/2018 को इस संबंध में जिला उपभोक्ता फोरम में Compliance Affidavit भी दाखिल किया जा चुका है।** वर्ष 2018–22 के मध्य जिला उपभोक्ता फोरम में लगातार सुनवाई चल रही है और प्राधिकरण की ओर से लिखित बहस वर्ष 2019 में ही दाखिल कर दी गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम के आदेश का अनुपालन वर्ष 2014 में कर दिया गया व वर्ष 2018 में तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा Compliance Affidavit भी दाखिल कर दिया गया। इसके विपरीत मा0 जिला उपभोक्ता न्यायालय द्वारा बिना वर्तमान मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पक्षकार बनाये दिनॉक 07/01/2023 का उक्त आदेश पारित कर दिया गया।

उपरोक्त वाद को कुछ मीडिया चैनलों व समाचार पत्रों द्वारा गलत तरीके से भी प्रस्तुत किया जा रहा है। कोर्ट के आदेश में भी 15 दिन का अनुपालन का समय दिया गया है और अनुपालन न करने की दशा में दण्ड किस मुख्य कार्यपालक अधिकारी पर लागू होगा, इस संबंध में कोर्ट के आदेश में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। वर्तमान मुख्य कार्यपालक अधिकारी को By Name Party नहीं बनाया गया है। उपरोक्तानुसार प्राधिकरण द्वारा उक्त आदेश में विधिक मंतव्य लिया जा रहा है और विधिक मंतव्य के क्रम में प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार अग्रिम Legal कार्यवाही तत्काल की जायेगी।